रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052022-235657
CG-DL-E-09052022-235657

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2057] नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2022/वैशाख 19, 1944
No. 2057] NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2022/VAISAKHA 19, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2022

सं. 03/2015–2020

विषय : ग्वार गम की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 2162(अ).—विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (वर्ष 1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वरा ग्वार गम के निर्यात से संबंधित अधिसूचना संख्या 31/2015–20 दिनांक 29.09.2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है:–

2. आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची–2, अध्याय 13 की क्रम संख्या 89 से संबंधित संशोधित तालिका निम्नानुसार है:–

क्रम सं.	आईटीसी (एचएस) कोड	उत्पाद विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त
89	1302 1302 32 30	ग्वार गम उपचारित और चूर्णित	मुक्त	भारत में उद्गमित अथवा भारत से यूरोपीय संघ (ईयू) और यूके को भेजे जाने वाले पशु अथवा मानव उपभोग हेतु अभिप्रेत ग्वार गम का निर्यात अनुमत है बशर्ते कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का प्राधिकृत प्रतिनिधि अर्थात शैलेक एवं वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (एसएचईएफ ईएक्सआईएल),

				कोलकाता द्वारा आधिकारिक प्रमाण–पत्र जारी किया जाए जिसके साथ (क) निम्नलिखित में से किसी एक अभिकरण द्वारा जारी पेंटाक्लोराफिनॉल (पीसीपी) के परीक्षण की मूल विश्लेषणात्मक रिपोर्ट हो जो प्रमाणित करे कि उत्पाद की सक्षम प्राधिकारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किए गए सैंपलिंग के दौरान इसमें प्रति कि.ग्रा. में 0.01 मि. ग्रा. से अधिक पीसीपी न मौजूद होः–
				• विमटा लैब्स, हैदराबाद और • निर्यात निरीक्षण अभिकरण (ईआईए) लैब, चेन्नई (ख) निम्नलिखित अभिकरण द्वारा ईटीओः ईथीलीन ऑक्साइड (इथीलीन ऑक्साइड और 2–क्लोराएथेनिऑल का जोड जिसका ईथीलीन ऑक्साईड के रूप में उल्लेख हो) के परीक्षण की मूल विश्लेषणात्मक रिपोर्ट जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि उत्पाद की सक्षम प्राधिकारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सेंपलिंग के दौरान इसमें प्रति कि.ग्रा. में ईटीओ की मात्रा 0.02 एमजी से अधिक न मौजूद होः– • विमटा लैब्स, हैदराबाद; • ईआईए लैब, मुम्बई

3. <u>इस अधिसूचना का प्रभावः</u>

यूरोपीय संघ और यूके को ग्वार–गम के निर्यात को स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र की बजाए अब आधिकारिक प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के अधीन तत्काल प्रभाव से अनुमत किया जाएगा।

[फा. सं. 01/91/180/020/एएम22/ईसी/ई-30417]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार

एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2022

No. 03 /2015-2020

Subject: Amendment in Export Policy of Guar Gum – regarding

S.O. 2162(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes following amendment in the Notification No. 31/2015-20 dated 29.09.2017 related to export of Guar Gum:

2. The revised table in respect of Sl. No. 89 of Chapter 13, Schedule – 2 of ITC (HS) Export Policy, 2018 is as under:

S.No	ITC (HS) Code	Product Description	Export Policy	Policy Condition
89	1302 1302 32 30	Guar gum treated and pulverized	Free	Guar Gum Exports to European Union (EU) and UK, originating in or consigned from India and intended for animal or human consumption, allowed subject to issue of Official Certificate by authorized representative of Ministry of Commerce & Industry, Government of India i.e. Shellac & Forest Products Export Promotion Council (SHEFEXIL), Kolkata accompanied by (a) the original analytical report of testing of Pentachlorophenol (PCP) issued by any of the following agencies certifying that product does not contain more than 0.01 mg per Kg of PCP on sampling done by the authorized representative of the competent authority: • Vimta Labs, Hyderabad; and • Export Inspection Agency (EIA) Lab, Chennai (b) the original analytical report of testing of ETO: Ethylene Oxide (sum of ethylene oxide and 2-chloroethaniol expressed as ethylene oxide) issued by the following agency certifying that product does not contain more than 0.02 mg per Kg of ETO on sampling done by the authorized representative of the competent authority: • Vimta Labs, Hyderabad; • EIA Lab, Mumbai

3. Effect of this Notification:

The Export of Guar Gum to European Union and UK will now be allowed subject to issuance of **Official Certificate** in place of Health Certificate with immediate effect.

[F. No. 01/91/180/020/AM-22/EC /E-30417]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.09 22:38:58 +05'30'